इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी 2016—पौष 23, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. डी-15-46-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (उन्तीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है. जिसका प्रकाशन उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "एक करोड़ पचास लाख रुपये" के स्थान पर, शब्द "तीन करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक" स्थापित किए जाए;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "पिचहत्तर लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दो करोड़ से अधिक तथा एक करोड़ पचास लाख के स्थान पर, शब्द "तीन करोड़ पचास लाख रुपये" स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (ग) में, शब्द "चालीस लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "एक करोड़ रुपये से अधिक" तथा "पिचहत्तर लाख रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो करोड़ रुपये" स्थापित किये जाएं;

(चार) खण्ड (घ) में, शब्द "चालीस लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "एक करोड़ रुपये" स्थापित किये जाएं;

(पांच) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए अर्थात्:—

"परन्तु पूर्व में वर्गीकृत कोई भी मंडी समिति इस नियम के संशोधन के प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के लिये निम्नतर वर्ग में वर्गीकृत नहीं की जाएगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. डी-15-46-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 13th January 2016

No. D-15-46-2004-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (XXIX) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) makes the following amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Vargikaran) Niyam, 1981, the same having been previously published as required by sub-section (1) of the said Section, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

(1) In rule 3 :—

(i) in clause (a), for the words "rupees one crore fifty lakhs", the words "more than rupees Three crore fifty lakhs" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "rupees seventy five lakhs", the words "more than rupees Two crore" and for the words"rupees one crore fifty lakhs", the words "rupees Three crore Fiffty lakhs" shall be substituted;

(iii) in clause (c), for the words"rupees forty lakhs", the words "more than rupees one crore" and for the words "rupees seventy five lakhs", the words "rupees Two crore" shall be substituted;

(iv) in Clause (d), for the words "rupees forty lakhs", the words "rupees one crore" shall be substituted;

(v) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Provided that no Market committee classified earlier shall consequent upon the commencement of amendment of this rule be classified in a lower class for the current financial year.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.